दिनांक–07.10.15 को श्री ए0के0 झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्र प्रायोजित योजना (प्रशाखा–03) की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

<u>उपस्थिति</u> :–

श्री ए0के0 झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री सतीश अग्रवाल, डी0एफ0आई0डी0।
श्री लाल बाबु महतो, Additional Programme director Buidco, ADP.
श्री शशिभूषण, वित्त पदाधिकारी, बुडको।
डा0 निखिल रंजन, M/E.officer, BGCMS. (अनुपस्थित)
श्री राजकिशोर सिंह, सहायक, प्रशाखा–03

<u>कार्यवाही</u> :–

दिनांक–05.10.15 को प्रधान सचिव के द्वारा आहूत विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान प्राप्त निदेश के अनुपालन में शाखा से संबंधित बजट की आंतरिक समीक्षा किया गया।

(1) NGRBA - मुख्य शीर्ष 2015 के अधीन NRCP घटक में 17300 लाख एवं रू0 3262.00 लाख कुल 20562.00 लाख रू0 का बजट उपबंध चालू वर्ष में केन्द्रांश की अनुमानित व्यय के विरूद्ध कराया गया है। इस राशि की निकासी के संबंध में NMCG से सम्पर्क करने के बाद निर्णय लिया जायेगा। श्री निखिल रंजन को बार–बार बुलाने पर भी वे उपस्थित नहीं हुए और न तो उन्होने वांछित कोई सूचना ही उपलब्ध कराई। इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालन– डा0 निखिल रंजन/प्रशाखा–03)

(2) EAP - SPUR - इस योजना के लिए उपबंधित राशि 3024.00 लाख रू0 का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में संभव नहीं है। DFID के प्रतिनिधि श्री सतीश अग्रवाल जी के द्वारा बताया गया है कि उनके Project का समापन 31.12.15 तक हो जायेगा। इसके लिए वांछित राशि उपलब्ध है। उपबंधित राशि 3024.00 लाख का उपयोग कहीं अन्यत्र अथवा प्रत्यार्पण किया जा सकता है।

(अनुपालन– प्रशाखा–03)

(3) EAP - ADB - इस मद में चालू वर्ष 2015–16 में 38134.00 लाख रू का उपबंध है। BUIDCo के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की चालू वर्ष में केवल 50.00 करोड़ रू0 की आवश्यकता होगी। अगले वित्तीय वर्ष में 80.00 करोड़ रू0 व्यय का अनुमान है। इस मद में 127.00 करोड़ रू0 की निकासी की गयी है, जो बुडा में रक्षित है। अतएव चालू वर्ष में राशि की निकासी की आवश्यकता नहीं है। कुल उपबंध 38134.00 लाख रू0 का उपयोग कहीं अन्यत्र अथवा प्रत्यार्पण किया जा सकता है।

(अनुपालन– प्रशाखा–03)

(4) SMART City - इस योजना में 6.00 करोड़ रू0 DPR बनाने हेतु MoUD से प्राप्त हुआ है। बजट शीर्ष खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

(5) AMRUT - यह एक नई योजना है इसके लिए भारत सरकार MoUD, GoI द्वारा 6642.00 लाख रू0 प्रथम किस्त केन्द्रांश के रूप में विमुक्त किया गया है। केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की भी आवश्यकता होगी। राशि का उपबंध द्वितीय अनुपुरक में कराया जायेगा।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई। ह0/–

(अरविन्द कुमार झा),
सहायक निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/विविध–18–13/2014 4397 पटना/दिनांक 8/10/15
प्रतिलिपिः–विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–निदेशक के निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक
07.10.15